

[Shri Yogendra Makwana].

in laying the document mentioned at I above.

[Placed in Library. See No LT—6915/83 for (I) and (II)].

REPORTS OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Public Accounts Committee:—

(i) Hundred and Sixty-second Report of the Public Accounts Committee (7th Lok Sabha) relating to Ministry of Railways (Railway Board)—Western Railway—Construction of a metre gauge line from Babla to Singhana.

(ii) Hundred and Sixty-third Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations contained in their 108th Report (7th Lok Sabha) relating to Ministry of Finance (Department of Revenue)—Union Excise Duties—Knocked down condition.

RE. NOTICE OF PRIVILEGE, CALLING ATTENTION NOTICES ETC.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न पहले आप सुन लीजिए। आप जानते हैं कि किसान आज परेशान इसलिए हैं कि...

श्री उपसभापति: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह: बारिश न होने की वजह (व्यवधान) लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री उपसभापति: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह: आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि बारिश नहीं हो रही है।

श्री उपसभापति: नहीं हो रही तो क्या करें। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह: आप सदन में इस पर बहस कराइये।

श्री उपसभापति: इस पर बहस हो चुकी है।

श्री रामेश्वर सिंह: नहीं इस पर नहीं हुई है (व्यवधान) सूखा पर हुई है (व्यवधान)

श्री उपसभापति: फलड और ड्राउट दोनों पर हो चुकी है। आप रिकार्ड देख लीजिए। फलड और ड्राउट दोनों पर दिन भर इस सदन में बहस हो चुकी है।

श्री रामेश्वर सिंह: अच्छा अब पानी नहीं आ रहा है (व्यवधान) किसान का हल खड़ा है। किसान की बेल सूख रही है (व्यवधान)

श्री उपसभापति: बहस हो चुकी है। आप फिर कुछ और रोज करिये।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है कि मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस स्वराज पाल के खिलाफ दिया था। दो दिन हो गये हैं, अब कितने दिन और लगेंगे। कह दीजिए।

श्री उपसभापति: अभी विचाराधीन है। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में आपको बता पायेंगे। श्री जैन।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश): मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था।

श्री उपसभापति: वन बाई वन, इसमें क्या हर्ज पड़ता है।

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश): मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ कि क्या किसी विदेशी नागरिक के बारे में इस सदन के अन्दर प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है?

श्री उपसभापति : यही विषय तो विचाराधीन है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जो प्रिविलेज का मोशन उन्होंने दिया है।

श्री सत्यपाल मलिक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सदन शुरू होने वाला था तब तमाम विरोधी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी और विरोधी दलों के नेताओं ने माननीय चेयरमैन साहब से और उस सदन में लोकसभा के स्पीकर से निवेदन किया था कि जो बिलालात हम करते हैं, उनको जिस शक्ल में हम देते हैं उनको बिना हमसे स्पष्टीकरण मांगे या तो काट दिया जाता है या गलत तरीके से एडिट कर दिया जाता है जिससे कि उसका असल मतलब ही खत्म हो जाता है। मैंने अभी इंस्टांसेज देते हुए तीन दिन पहले चेयरमैन साहब को चिट्ठी भी लिखी थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, you can discuss the matter in the Chamber. It is not a matter to be raised in the House.

श्री सत्यपाल मलिक : मैं इसको गलत समझता हूँ कि रोज मैं आपको पूछता किन्हीं। इस सदन में ऐसे गंभीर मामलों की बाबत आपको जानकारी देनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a matter to be raised in the House.

श्री सत्यपाल मलिक : क्वेश्चन को सही तरीके से देते नहीं हैं

(व्यवधान) यह तो हाऊस का प्रिविलेज है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can discuss the matter in the Chamber.

श्री सत्यपाल मलिक : आप सवाल गलत तरीके से करेंगे फिर यह हाऊस में नहीं उठेगा, यह कौन सी व्यवस्था है?

श्री उपसभापति : यह कन्वेन्शन इस हाऊस का बराबर है कि ऐसे प्रश्नों पर ..

श्री सत्यपाल मलिक : मैंने स्पेसिफिक इंस्टांसेज दिये हैं। तो आप बताइये कि उम सिलसिले में क्या फैसला हुआ? मैंने चिट्ठी लिखी थी।

श्री उपसभापति : चिट्ठी लिखी है तो उसका जवाब आपको मिला होगा।

श्री सत्यपाल मलिक : अभी तक नहीं मिला है तीन दिन हो गये ...
(व्यवधान) उड़ीसा के मुख्य मंत्री के खिलाफ चार दिन हो गये हैं, आप को बताना चाहिए।

श्री उपसभापति : रोज रोज अनाऊंस नहीं किया जाता है। जब फैसला हो जायेगा तो आपको इत्तिला दे देंगे।

श्री सत्यपाल मलिक : पेरा निवेदन यह है कि 10 दिन से आपने उड़ीसा सरकार को चिट्ठी लिखी है ...

(व्यवधान) आज तक आप नोटिस नहीं लेते हैं, आप अपमानित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हम करते हैं... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : देखिए समय लगता है। यहां से चिट्ठी गयी है, वहां से उनका जवाब आया है (व्यवधान) रोज रोज ये बातें बताई नहीं जा सकती हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : आप सदन को क्यों अपमानित करा रहे हैं। यह राज्य सभा की गरिमा का सवाल है। 10 दिन पहले आपने चिट्ठी लिखी, आपने तार किया, फिर चिट्ठी लिखी और आज तक आपको कम्युनिकेशन नहीं आया तो आपको इस सदन में उनको रिप्री-मेंड करना चाहिए।

श्री उपसभापति : वह करेंगे, जब वक्त आयेगा जब तय हो जायेगा ...
(व्यवधान) All the aspects will be enamined.

श्री सत्यपाल मलिक : कब आप उस पर निर्णय देंगे ?

श्री उपसभापति : देंगे आपको, अगले सप्ताह, आज तो खत्म हो रहा है । आप तो इतनी जल्दी कर रहे हैं ...
(व्यवधान)

डा० भाई महावीर : (मध्य प्रदेश) : तार का एकनालेजमेंट तो आया होगा ?

श्री उपसभापति : हर चीज कहां से बताऊंगा । आप बैठिये । We shall now take up Calling Attention.
श्री शांति त्यागी नहीं हैं, श्री कुलकर्णी नहीं है (व्यवधान) यह तो होने दीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : कालिंग अटेंशन पर मेरा पाइंट आफ आर्डर है । आप बराबर करते रहे हैं कि फ्रेश नोटिस चाहिए जिस दिन के लिए कालिंग अटेंशन हो । आप रिकार्ड देख लीजिए कल 10 बजे मैंने आज के लिए कालिंग अटेंशन के लिए दिया था । मेरे से पहले 10 बजे के पहले, किसी का है नहीं, तो ऐसी क्यों गड़बड़ी हुई है । आप बराबर कहते हैं कि फ्रेश नोटिस दिया करे । मेरा रिन्यूअल भी आया है और आज के लिए कल मैंने फ्रेश नोटिस दिया था । तो फिर मेरा नाम सबके ऊपर क्यों नहीं आया । बता दीजिए, निर्णय दीजिए ।

श्री उपसभापति : देखिए, आप कृपा करके यह सब रिकार्ड देख लीजिए और शायद आपने देखा भी हो । अगर आपने फिर से इन्क्वायर किया होगा तो आपको पता भी होगा कि चार अगस्त

को सबसे पहले इस हफ्ते के लिए श्री शांति त्यागी वगैरह का नोटिस आया, फिर 6 अगस्त को श्री अब्दुल रहमान शेख को नोटिस आई, फिर 6 अगस्त को रामेश्वर सिंह को आई, फिर 6 अगस्त को सत्यपाल मलिक जी को आई, फिर 8 अगस्त को श्री जे० सो० भट्टाचार्य जी को आई ; इस तरह से आई और आपको नोटिस ऑलैस्ट 8 को आई है 10 बजेकर 5 मिनट पर, तो फिर कैसे आपका नाम आयेगा । यह आप खुद सोच लीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : इसमें रिन्यूअल की बात होती है ... (व्यवधान) बात

श्री उपसभापति : यह रिन्यूअल की बात ... (व्यवधान) जी, नहीं ।

श्री शिव चन्द्र झा : जरा सुनिये ना । आप कहते हैं कि रिन्यूअल की बात ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह सबके नोटिस हैं ... (व्यवधान) अब सारी बहस ... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : यह फ्रेश नोटिस नहीं है । मेरा फ्रेश नोटिस है बारह तारीख के लिए है जोकि मैंने कल दिया है, आज भी दिया है ... (व्यवधान) आप बात करते हैं फ्रेश नोटिस की ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिए, मैं बता देता हूं । यदि यह सब बातें, नोटिस तथा तारीख आदि अब सदन में डिसकस की जाएंगी, तो काम नहीं चल सकता । पारम्परिक हाऊस की बातों के लिए आप दफ्तर में जाकर अपनी आंख से सब कागजात को देख लीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : आख से क्या देखें ?

श्री उपसभापति : जरा सुन लीजिए । आप कागजात को देख लीजिए और देख करके अगर कोई प्वाइंट ऐसा समझें कि गलत हो रहा है, तो हमको बता सकते हैं ताकि उसका निराकरण हो सके । हर बात के लिए—अब आपने सारा रिकार्ड देख लिया है, फिर भी बातें उठा रहे हैं । चार अगस्त को जो नोटिस दिया गया वह बारह अगस्त के शुरू वाले सप्ताह के लिए दिया गया । आप नोटिस देख लीजिए । तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आफिस में किसी को यह दिलचस्पी है कि आपके नाम (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा एकजैक्ट बारह के लिए है ।

श्री उपसभापति : उससे पहले आ गया, तो मैं क्या करूँ ।

श्री शिव चन्द्र झा : आप नोटिस देखें ।

श्री उपसभापति : आप देख लीजिए कृपया दफ्तर में जाकर । मैं हाऊस में नहीं देखता ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported U.S. decision to supply sophisticated Harpoon Missiles and Vulcan Air Defence system to Pakistan posing a threat to the security of India

डा० संकटा प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : मैं अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आधुनिककम हारपून प्रक्षेपास्त्रों तथा वल्कन वायु रक्षा प्रणाली को सप्लाई किये जाने के निर्णय से भारत की सुरक्षा को होने वाले खतरे के समाचार तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को और विदेश मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Mr. Deputy Chairman, Sir, on 27th July 1983, the Ministry of External Affairs conveyed the Government of India's strong concern about the supply of Harpoon missiles to the U.S. Government through their Embassy in New Delhi. The Indian Ambassador in Washington has reiterated India's deep concern with the US Government on 2nd August 1983.

It is well-known that the US Administration has cited the situation in and around Afghanistan as a pretext for supplying arms to Pakistan. While we have never agreed with this contention, it is still more untenable in the case of supply of Harpoon missiles, since the situation in Afghanistan is totally unconnected with this supply. The Government of India's stand continues to be that there is no justification or supplying such patently offensive missile systems to Pakistan. Even the Vulcan Phalanx close-in weapons system, which is being given, incorporates very up-to-date weapons technology, which would require to be matched.

This would represent the introduction of a new level of sophistication in armaments in our region in the area of naval warfare where such arms escalation has hitherto been relatively limited. It could thus needlessly precipitate a new arms race to the region.

The continuing Indian concern over the supply of US arms to Pakistan was reiterated during the recent visit of Secretary of State Shultz. U.S. actions in this regard would have a destabilising effect on this region and would run counter to professed U.S. aims towards this region. We hope that the U.S. Government will give the most careful thought to the matter before taking such a step.

डा० संकटा प्रसाद : उपसभापति जी, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जो हारपून मिसाइल और वल्कन वायु रक्षा प्रणाली की सप्लाई किये जाने का फैसला किया गया है, वह देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ।